कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) मुंगेली (छ.ग.)

ज्ञापन

क्रमांक/ 4295 /भू–अभि./स.अ.भू.अ./2019 मुंगेली, दिनांक 15 .05.2019

प्रति,

उप–संचालक,
अचानकमार टाईगर रिजर्व,
लोरमी छ.ग.

विषयः– अचानकमार टाईगर रिजर्व, अंतर्गत कोर क्षेत्र के ग्रामों के व्यवस्थापन हेतु भूमि अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत्।

संदर्भः– कार्या. उप–संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व, लोरमी जिला मुंगेली का पत्र क्र. व.प्रा./स्टेनो/1504 लोरमी दिनांक 06.05.2019

––00––

संदर्भित पत्रानुसार विषयांकित अचानकमार टाईगर रिजर्व, अंतर्गत कोर क्षेत्र ग्रामों के व्यवस्थापन हेतु भूमि अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत् आपका पत्र प्राप्त हुआ है। व्यवस्थापन के द्वितीय चरण में क्रमशः तीन ग्राम तिलाईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा का व्यवस्थापन लोरमी परिक्षेत्र के कक्ष क्र. 96, 557, 558 आर.एफ. रकबा 255.300 हे. में किया जाना प्रस्तावित है।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लोरमी का पत्र क्र. 769 लोरमी दिनांक 10.05.2019 के अनुसार तहसील लोरमी में व्यवस्थापन हेतु राजस्व भूमि उपलब्ध नही होना सूचित किया गया है। कलेक्टर महोदय का प्रमाण पत्र पृथक से संलग्न है।

संलग्न :– **उपरोक्तानुसार एक।**

15/5/19

डिप्टी कलेक्टर,
हेतु कलेक्टर मुंगेली (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

राजस्व भूमि अनुपलब्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अचानकमार टाईगर रिजर्व, लोरमी जिला मुंगेली अंतर्गत कोर क्षेत्र में स्थित ग्रामों तिलाईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा का व्यवस्थापन हेतु तहसील लोरमी, जिला मुंगेली के अन्तर्गत राजस्व भूमि उपलब्ध नही है।

15.05.19

कलेक्टर,
जिला मुंगेली (छ.ग.)

Scanned by CamScanner